

नालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

संख्या : RTI अपील
सो-02/2022

रामपुरसाद

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी), चाकसू

कार्यवाही
दि./आज्ञा
की दिनांक

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष
विवरण

20.06.2022

पत्रावली पेश हुई। कोई उपस्थित नहीं है। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप खण्ड अधिकारी, चाकसू की टिप्पणी जरिरे क्रमांक लोक सूचना/2022/130 दिनांक 23.06.2022 प्राप्त। शामिल मिसल हो। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्त प्रार्थी द्वारा इस्तदुआ की गई है कि अपीलान्त प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.01.2022 को आर.टी.आई. एक्ट के अंतर्गत सूचना चाही गई थी कि (i) प्रशासन गांवों के संग अभियान दिनांक 18.11.2021 में कितनी शिकायतों के मामले दर्ज हुए डिस्पेच रजिस्टर की फोटोप्रति उपलब्ध करावें मय प्रमाणित (ii) क्रमांक 19 व 20 दिनांक 18.11.2021 में क्या कार्यवाही की गई आदि जो उसे प्राप्त नहीं हुई है, उसे निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे। राज्य लोक सूचना अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी), चाकसू ने अपनी टिप्पणी क्रमांक लोक सूचना/2022/130 दिनांक 23.06.2022 में जाहिर किया है कि बिन्दु संख्या 01 की सूचना जरिरे क्रमांक राजस्व/22/1825 दिनांक 14.03.2022 अपीलान्त-प्रार्थी को भिजवा दी गई है और बिन्दु संख्या 02 की सूचना विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चाकसू से सम्बन्धित होने के कारण उन्हे जरिरे पत्रांक राजस्व/22/1823 दिनांक 14.03.2022 द्वारा अन्तरण कर दी गई है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप खण्ड अधिकारी, चाकसू की टिप्पणी से हम सन्तुष्ट है। अतः अपील अपीलान्त खारिज योग्य है, परन्तु टिप्पणी में यह भी तथ्य उजागर है कि वांछित सूचना विलम्ब से दी गई है। अतः उक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्त खारिज की जाती है साथ ही राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप खण्ड अधिकारी, चाकसू को निर्देश दिये जाते है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों को नियमानुसार निर्धारित अवधि में निस्तारण किया जावे। अनावश्यक विलम्ब न हो। न्यायहित में प्राप्त टिप्पणी-सूचना की फोटोप्रति अपीलान्त को मय निर्णय प्रति भेजी जावे। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चाकसू को भी प्रति प्रेषित की जावे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अति कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

रिजिस्ट्रार
1630-71
11-7-2022